न्यायालयः अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट , मोहम्मदी खीरी।

CNR No.–UPLP 1200 2561 2020

नन्हीं देवी

बनाम

वीरपाल आदि।

परिवाद सं०–6258/2024
अं०धारा–452, 323, 504,
506, 354 ए भा०दं०सं०
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

दिनांकः 27.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित। अभियुक्तगण द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उन्मोचन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–245 दं०प्र०सं० दिनांकित 27.05.2026 प्रस्तुत कर उन्हें उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थीगण को सुना। पत्रावली वास्ते आदेश लंच बाद पेश हो।

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी–खीरी।

दिनांकः 27.05.2026 लंच बाद,

पत्रावली लंच बाद अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.05.2026 अं०धारा 245 दं०प्र०सं० पर वास्ते आदेश पुनः पेश हुई। लंच से पूर्व अभियुक्तगण को जरिए विद्वान अधिवक्ता सुना जा चुका है।

अभियुक्तगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि परिवादिनी का धारा 244 सी०आर०पी०सी० का अवसर दिनांक 23.04.2026 को समाप्त कर दिया गया है, इस कारण प्रार्थीगण पर कोई आरोप नहीं बनता है, अतः प्रार्थीगण को उन्मोचित करने की कृपा करें।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली दिनांक 24.10.2016 से परिवादी के साक्ष्य धारा 244 दं०प्र०सं० हेतु नियत है। परिवादिनी के द्वारा आज तक कोई भी साक्ष्य धारा 244 दं०प्र०सं० का प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादिनी आज भी न्यायालय में गैर हाजिर है। परिवादिनी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अभियुक्तगण के उन्मोचन प्रार्थना पत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य सामग्री धारा 244 सी०आर०पी०सी० के तहत मौजूद नहीं है। अतः अभियुक्तगण को धारा 245(2) दं०प्र०सं० में उन्मोचित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण वीरपाल, राम लड़ैते व छोटक्के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अं०धारा–245 दं०प्र०सं० दिनांकित 27.05.2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण छोटक्के व राम लड़ैते को धारा–452, 323, 506 भा०दं०सं० एवं अभियुक्त वीरपाल को धारा 354ए, 452, 323, 506 भा०दं०सं० के अपराध से धारा–245(2) दं०प्र०सं० के तहत उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 27.05.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी–खीरी।